कार्यालय कलेक्टर (नजूल शाखा) जिला–बेमेतरा

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

क्रमांक 257 /प्र./नजूल/2020 बेमेतरा दिनांक 7.03.2020

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि छ.ग. नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 अंतर्गत जिला बेमेतरा के अंतर्गत पट्टो का वितरण किया गया है । वर्ष 1984 मे प्रदत्त पट्टो की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के कारण इन पट्टो की नवीनीकरण की कार्यवाही किया जाना है ।

पट्टे की भूमि का नवीनीकरण :–

1. इनके अंतर्गत प्रदत्त पट्टे का नवीनीकरण निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुए किया जावेगा :–
   (क) निकट भविष्य मे उस भूमि की आवश्यकता किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपेक्षित न हो।
   (ख) पट्टाधारी द्वारा सभी विकास प्रभार नगरीय निकाय की अन्य समस्त देनदारियों का सम्यक रूप से भूगतान किया गया हो।
   (ग) पट्टेधारी द्वारा इन नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन न किया गया हो ।
1. प्रदत्त पट्टे की अवधि (नवीनीकरण) 30 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा ।
2. पट्टे का नवीनीकरण करते समय देय विकास प्रभार मे वृद्धि की जा सकेगी, तथा अन्य ऐसी अन्य शर्ते भविष्य के लिए जोड़ी जा सकेगी जैसा कि पट्टाकर्ता उचित समझे ।
3. पात्र हितग्राहियों के कब्जे वाले भूमि के संबंध मे नया पट्टा अभिलेख प्रदान किया जायेगा ।

पट्टाधृति अधिकार को भूमिस्वामी अधिकार मे परिवर्तित किया जाना :–

1. पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त होने पर पट्टाधृति अधिकार को भूमिस्वामी अधिकार मे निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकेगा ।
   (क) मूल पट्टाधारी अथवा उसकी मृत्यू की स्थिति मे उसका वैधानिक उत्तराधिकारी का उस भू–खण्ड पर अधिभोग जारी हो और वही निवासरत् हो ।
   (ख) मूल पट्टे की शर्तो तथा निर्बन्धनों का सम्यक रूप से अनुपालन हुआ हो ।
   (ग) पट्टाधारी को नियमानुसार भूमिस्वामी अधिकार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, देय समस्त स्वत्वों के भूगतान हेतु सहमति देना होगा ।

अतएव समस्त पट्टाधारियों को अपील की जाती है, कि 31.03.2020 तक अपने पट्टे का नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। पट्टे का नवीनीकरण/नियमितिकरण हेतु आवेदन कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा कक्ष क्रमांक 41 में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से 05.00 तक प्रस्तुत करे। आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी पट्टाधारी की होगी।

7/3/20
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 258 /प्र./नजूल/2020 बेमेतरा दिनांक 07.03.2020

प्रतिलिपि :–

1. जिला जनसम्पर्क अधिकारी जिला कार्यालय बेमेतरा की ओर उपरोक्तानुसार विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु ।
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को जिला बेमेतरा के वेब–साईट https://bemetara.gov.in/ मे अवलोकन हेतु अपलोड किया जाने हेतु ।

7/3/20.
डिप्टी कलेक्टर
वास्ते कलेक्टर जिला बेमेतरा (छ.ग.)

CS Scanned with CamScanner